

विषय:—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पक्ष में छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण रायपुर द्वारा आदेश पारित ।

—000—

छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण रायपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 115/2005 मेसर्स एन. एस.टी. पिल्लई बनाम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं अन्य में दिनांक 26.06.2013 को मण्डल के पक्ष में आदेश पारित किया गया है ।

प्रशासकीय अधिकारी  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
मुख्यालय, रायपुर